राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11178/2016

मकसूद खान खोखर

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री रोहिताश सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए : सुश्री भावना जांगिड़ (वीसी के माध्यम से)

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

21/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 09.03.2015 के आदेश (अनुलग्नक 21) के खिलाफ है, जिसके अनुसार प्रतिवादी जिला शिक्षा अधिकारी ने याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि यह दिनांक 31.05.2008 के विज्ञापन (अनुलग्नक 6) के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में 06.07.1996 को सहायक अध्यापक (अंग्रेजी) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 04.09.2000 को अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्हें 20.07.2003 के आदेश द्वारा मदरसा गरीब नवाज में शिक्षा सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर के तहत शिक्षा सहयोगी के रूप में उनके चयन के बाद, उन्होंने 16.10.2003 से लगातार उक्त पद पर काम किया। विज्ञापन दिनांक 31.05.2008 (अनुलग्नक 6) के अनुसार, याचिकाकर्ता ने प्रबोधक के पद के लिए आवेदन किया। विज्ञापन में अनुभव की आवश्यकता यानी 05 वर्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता के पास 04 वर्ष 11 महीने का अनुभव है।

2.1 दिनांक 16.09.2010 के आदेश (अनुलग्नक 9) के अनुसार याचिकाकर्ता का नाम चयन सूची में नहीं पाया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को जानकारी मिली कि उसे उसके अनुभव के लिए केवल 10 अंक दिए गए हैं। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 415/2013 प्रस्तुत की, जिसका दिनांक 21.08.2013 के आदेश (अनुलग्नक 18) के तहत निपटारा कर दिया गया।

2.2 इसके बाद चयन समिति ने दिनांक 13.02.2015 के आदेश (अनुलग्नक 20) के तहत याचिकाकर्ता को अनुभव के लिए 34 अंक दिए और उसे मेरिट में क्रमांक 1189-ए में रखा तथा याचिकाकर्ता को प्रबोधक के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया।

2.3 हालांकि, उपरोक्त आदेश पारित होने के बावजूद, जिला शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.03.2015 के आदेश (अनुलग्नक 21) के तहत याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र को अस्वीकार करके नियुक्ति के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया। यह 31.05.2008 के विज्ञापन (अनुलग्नक 6) के अनुसार आवश्यकता के अनुसार नहीं पाया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. जवाब में बचाव यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र स्वयं आत्मभाषित है। यह दर्शाता है कि कट-ऑफ तिथि यानी 18.06.2008 को उसके पास अपेक्षित पांच साल का अनुभव नहीं था। इसलिए, याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने में प्रतिवादियों को न्यायोचित ठहराया गया है। याचिका केवल इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अवमानना याचिका दिनांक 06.07.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार, यह अंतिम हो गया है। प्रासंगिक भाग, उपयुक्त होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "याचिकाकर्ता के पास नियमों के अनुसार अपेक्षित अनुभव नहीं था और इस तरह वह प्रबोधक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका या वर्तमान अवमानना याचिका में कहीं भी यह मामला स्थापित नहीं किया है कि उसने प्रबोधक सेवा नियमों की अनुसूची के अनुसार बिना किसी रुकावट के लगातार पांच

साल का अनुभव प्राप्त किया था। इस प्रकार, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आवेदन पत्र जमा करने की तिथि तक उसके पास अपेक्षित अनुभव नहीं था, जिससे वह प्रश्नगत भर्ती प्रक्रिया में प्रबोधक के रूप में नियुक्त होने का पात्र हो।"

6. चूंकि उपरोक्त निष्कर्ष अंतिम हो चुका है और याचिकाकर्ता द्वारा कोई कानूनी उपाय नहीं किया गया है, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

7. इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाती है।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।